अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या– 29 / 2003–04

मारण्डा बोयपाई एवं अन्य।

वनाम

सिकुर बोयपाई एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद दिनांक– 19.12.2003 को वादी मारण्डा बोयपाई, पिता– स्व० मुकुन्द बोयपाई एवं 15 अन्य सभी का निवासी ग्राम– पण्डावीर, बरकेला, थाना– मुफ्फसिल, पो०– बरकेला, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा Declaration of plaintiffs, Suit title interest and possession of the suit property के लिए प्रतिवादी सिकुर बोयपाई, पिता– स्व० लादुरा बोयपाई एवं 20 अन्य निवासी ग्राम– पण्डावीर, बरकेला, थाना– मुफ्फसिल, पो०– बरकेला, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में वादी प्रतिवादी या उनके अधिवक्ता द्वारा लम्बे समय से अपना पक्ष नहीं रखने के कारण अंतिम नोटिस भेजा गया। लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 30.12.2021 को भी उभय पक्षों की ओर से कोई पैरवी नहीं की गई है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

30.12.2021

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

30.12.2021

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.02.02 12:30:40 +05:30
Location: 10.93.66.35

Scanned with CamScanner